

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र०/NBPDCI—03/2018

/पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः— नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन लघु जल उपचार संयंत्र (Water Treatment Plant) की स्थापना हेतु 17.98 करोड़ (सत्रह करोड़ अड्डानवे लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि के अतिरिक्त अवशेष राशि 12.2113 करोड़ (बारह करोड़ इक्कीस लाख तेरह हजार) रुपये वित्तीय वर्ष 2018—19 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या—907 दिनांक—19.03.2018 के द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन लघु जल उपचार संयंत्र (Water Treatment Plant) की स्थापना हेतु 17.98 करोड़ (सत्रह करोड़ अड्डानवे लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 में 5.7687 करोड़ (पाँच करोड़ छिहत्तर लाख सतासी हजार) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशि 5.7687 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शेष राशि 12.2113 करोड़ (बारह करोड़ इक्कीस लाख तेरह हजार) रुपये की मांग की गई है जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन लघु जल उपचार संयंत्र (Water Treatment Plant) की स्थापना हेतु 17.98 करोड़ (सत्रह करोड़ अड्डानवे लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि के अतिरिक्त अवशेष राशि 12.2113 करोड़ (बारह करोड़ इक्कीस लाख तेरह हजार) रुपये वित्तीय वर्ष 2018—19 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बजट मांग संख्या—10, मुख्य शीर्ष 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष—0103 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड—10—4801057890103 विषय शीर्ष—54.01—निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448—स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—120—अन्य निधियों, उपशीर्ष—0048—नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष—L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ—K—8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/NBPDCL-03/2018 के पृष्ठ संख्या-9/टि० पर दिनांक-12.03.2018 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/NBPDCL-03/2018 के पृष्ठ संख्या-15/टि० पर दिनांक-27.08.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/NBPDCL-03/2018

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/NBPDCL-03/2018 ८५६

/पटना, दिनांक- ८५/०९/२०१८

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीस प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लि०/प्रबन्ध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

४